

रजिस्ट्रार जन. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

Received from No. (123)

510-510

10/10/85

8213

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्रतिभार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

8-02-900
200 M/O R.H.
20 V.M.
600 R.H.
C.P.B.

सं० 157] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 4, 1985/चैत्र 14, 1907
No. 157] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 1985/CHAITRA 14, 1907

इस भाग में दिव्य सूक्त सत्या की जाती है जिससे कि यह जलन संकलन को रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

निवेश मंत्रालय

अधिभूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1985

सा. का. नि. 345(अ) - पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15वां) की
धारा 24 द्वारा अदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा पासपोर्ट
नियम, 1980 में अंग्रेजी संशोधन करते हुए निम्नलिखित कानून बनाती है, यथा—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1985 कहा जाएगा।

21 G/85

M. S. Chidambaram

Controller of Publications
Govt. of India
Department of Publications,
Ministry of Urban Development,
Connaught Place, Delhi-110

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जाएंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम (क) में "मनीआर्डर" शब्दों को स्थान पर "पासपोर्ट प्राधिकारी के नाम रेखांक पोस्टल आर्डर भेजा जाए" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 6/401/62/79]

वाई. एम. तिवारी, संयुक्त सचिव (सी पी बी)

टिप्पणी :—भारत का राजपत्र, 1980 (असाधारण) भाग-2, खंड-3, उप खंड (1) में 11 दिसम्बर, 1980 की अधिसूचना सं. जी एस आर-691(ई) द्वारा प्रकाशित मुख्य नियम।

इसके द्वारा संशोधित :—

- (1) अधिसूचना सं. जी एस आर-50 (ई) तारीख : 9 फरवरी, 1981।
- (2) अधिसूचना सं. जी एस आर-469 (ई) तारीख : 24 जून, 1982।
- (3) अधिसूचना सं. जी एस आर-325 (ई) तारीख : 12 अप्रैल, 1983।
- (4) अधिसूचना सं. जी एस आर-494 (ई) तारीख : 19 जून, 1983।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1985

GSR 345(E)—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 9 to the Passports Rules, 1980, for the words "money order to" the words "crossed postal order drawn in favour of the passport authority" shall be substituted.

[No. VI/401/62/79]

Y. M. TIWARI Jt. Secy. (CPV).

Y. M. Tiwari
Y. M. Tiwari
Controller of Publications
Govt. of India
Department of Publications
Ministry of Urban Development
7th Floor, Delhi-110